



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230453
CG-DL-E-16102021-230453

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3943]
No. 3943]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/ आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ ASVINA 22, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 4292(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में सुल्तानपुर-झज्जर-हिसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एस जे एच पी एल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, हरियाणा राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

सुल्तानपुर-झज्जर-हिसार गैस पाइपलाइन परियोजना

अनुसूची

राज्य-हरियाणा

क्रम संख्या	जिला	तहसील	गाँव	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर
1	झज्जर	झज्जर	किलोई	753	00	06	73
				710	00	00	24
				TOTAL	00	06	97
2	झज्जर	बादली	निमाना	32/14	00	01	04
				TOTAL	00	01	04

[फा. सं. एल - 14014/102/2021-जीपी-II (ई-39511)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 4292(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Sultanpur – Jhajjar – Hisar Natural Gas Pipeline (SJHPL) in the State of Haryana, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited, State of Haryana.

SULTANPUR - JHAJJAR - HISAR GAS PIPELINE PROJECT**SCHEDULE**

State : HARYANA

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
					Hect.	Are	Sq. mt.
1	JHAJJAR	JHAJJAR	KILOI	753	00	06	73
				710	00	00	24
				TOTAL		06	97

2	JHAJJAR	BADLI	NIMANA	32/14	00	01	04
				TOTAL		01	04

[F. No. L-14014/102/2021-GP-II (E-39511)]
RAKESH MISHRA, Under Secy.